उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 687/2021 दिनांक /Date.: 14-9-2021

संवाद–155

विषयः– वाहन चालक के पद पर पात्रता के संबंध में।

इस पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा है कि उन्हें विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद भी अर्हताओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि शैक्षिक व तकनीकी अर्हता विज्ञापन में स्पष्ट की गयी है, इच्छुक उम्मीद्वारों को मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान से आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ–साथ विज्ञापन की तिथि के 3 वर्ष पूर्व का वाहन चालन का लाइसेंस होना आवश्यक है। वाहन चालन लाइसेंस के संबंध में स्पष्ट करना है कि आवेदन की तिथि से 3 वर्ष पहले का प्राइवेट या कामर्शियल कोई भी लाइसेंस होना पर्याप्त है। यह भी स्पष्ट करना है कि सेवा नियमावली में यह व्यवस्था दी गयी है कि "यथास्थिति भारी या हल्के वाहन का लाइसेंस होना चाहिए" इस संबंध में स्पष्ट करना है कि विभागों से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि किस विभाग को भारी वाहन के लाइसेंस धारक चालक की आवश्यकता है, यदि किसी विभाग से भारी वाहन चलाने की आवश्यकता प्राप्त होती है तब उन्हीं विभागों के लिए भारी वाहन चालन (HMV) के लाइसेंस धारक अभ्यर्थी पात्र होंगे। अन्य सभी के लिए हल्के वाहन चालक (LMV) का लाइसेंस पर्याप्त है, वर्तमान में HMV/ LMV दोनों लाइसेंस धारक आवेदन कर सकते हैं।

आशा है इससे अभ्यर्थियों की पृच्छाओं का निस्तारण हो जाएगा।

आयोग की ओर से,

14/9/21

(संतोष बडोनी)
सचिव